

Progress Report of Implementation of Chief Minister's Budget Speech 2005-06

Department- I.G. Registration & Stamps Ajmer.

| S.No. | Para No. | Announcement | Progress / Action taken | Remarks |
|-------|----------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 183(i) | अचल सम्पतियों के विक्रय के अधिकार देने वाली पावर आफ एटार्नी पर पूर्व में अदा किये दो प्रतिशत मुद्रांक शुल्क को पावर आफ एटार्नी के निष्पादन के तीन वर्ष के भीतर उक्त सम्पति का हस्तांतरण होने पर देय स्टाम्प शुल्क में समायोजित करने का प्रावधान । | राजस्थान वित्त विधेयक 2005 के द्वारा स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूचि के आर्टिकल 44 में संशोधन कर नया परन्तुक जोडकर पावर आफ एटार्नी पर दी गई 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के समयोजन का प्रावधान किया गया है किन्तु शर्त यह है कि ऐसी पावर आफ एटार्नी के अनुसरण में हस्तांतरण पत्र का निष्पादन तीन वर्ष की अवधि में हुआ हो । | पैरा 183(i) से (vi) क्रियान्वति हेतु विभाग के पत्रांक एफ7(39) जन/05/2566 दि. 25.3.05 द्वारा परिपत्र जारी कर इसें लागू किया जा चुका है। (प्रति सलग्न) |
| | 183 (ii) | कम्पनी अधिनियम 1958 की धारा 394 के तहत उच्च न्यायालय के आदेशों से कम्पनी का अमलगमेशन होने पर निष्पादित कन्वेंस डीड पर सम्पति की मार्केट वेल्यु पर देय स्टाम्प शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर को घटाकर 4 प्रतिशत करना । | राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(20)एफडी/टैक्स/2005-216 दिनांक 24.3.2005 से लागू | |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 183 (iii) | राज्य में राजस्व मंडल में लम्बित स्टाम्प प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी की शक्तियां राजस्व मण्डल के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड को प्रदान करना। | राजस्थान वित्त विधेयक 2005 के द्वारा स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 2 में खण्ड (viii) क जोड़कर मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (1995 का अधिनियम सं0 22) की धारा 90 के अधीन गठित राजस्थान कर बोर्ड अभिप्रेत किया गया। | पैरा 183(i) से (vi) क्रियान्वृति हेतु विभाग के पत्रांक एफ7(39) जन/05/2566 दि. 25.3.05 द्वारा परिपत्र जारी कर इसें लागू किया जा चुका है। (प्रति सलग्न) |
| 183 (iv) | राज्य में गौशाला स्थापना हेतु भूमि दान देने पर स्टाम्प शुल्क माफ करना। | राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(20)एफडी/टैक्स/2005-217 दिनांक 24.3.2005 से लागू | |
| 183 (v) | वृद्ध जन कल्याण गृहों के स्थापित होने पर स्टाम्प शुल्क एवं गृह कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करना। | राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(20)एफडी/टैक्स/2005-220 दिनांक 24.3.2005 से लागू | |
| 183 (vi) | वर्तमान में पंजीयन के निर्मित भवनों के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु निर्माण दर 300 रु. प्रति वर्ग फूट निर्धारित है अब पट्टी पोश निर्मित सम्पतियों के मूल्य निर्धारण हेतु दर 200 रु. प्रति वर्ग फुट एवं आर.सी.सी. निर्मित भवनों हेतु 400 रु. प्रति वर्ग फुट करना। | राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(20)एफडी/टैक्स/2005-221 दिनांक 24.3.2005 से लागू | |